प्रथम संविधान संशोधन 1951 /First Constitutional Amendment 1951

भूमि विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से इस संशोधन द्वारा संविधान के अन्तर्गत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है।

In order to provide constitutional protection to land laws, the 9th Schedule has been added to the Constitution by this amendment.

सातवाँ संविधान संशोधन 1956/Seventh Constitutional Amendment 1956

यह संशोधन राज्यपुनर्गठन अधिनियम, 1956' को कार्यान्वित करने के लिए पारित किया गया। इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन 14 राज्यों तथा 6 संघ शासित क्षेत्रों में किया गया।

This amendment was passed to implement the State Reorganisation Act, 1956. By this, the states were reorganised into 14 states and 6 union territories.

31वाँ संविधान संशोधन 1973 /31st constitutional amendment 1973

इसके तहत संविधान के अनु. 81 में संशोधन कर लोकसभा के सदस्यों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया है। * तथा केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया।

Under this, by amending Article 81 of the Constitution, the number of members of the Lok Sabha has been increased from 525 to 545. * And the representation of Union Territories was reduced from 25 to 20.

35वाँ संविधान संशोधन 1974 /35th constitutional amendment 1974

सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे 'सह - राज्य' के रूप में भारत में शामिल किया गया।*

Sikkim was made a protected state and its status was abolished and it was included in India as a 'co-state'.*

36वाँ संविधान संशोधन 1975 /36th constitutional amendment 1975

सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करते हुए भारत के 22वें राज्य के रूप में संविधान की प्रथम अनुसूची में स्थान दिया गया

Sikkim was given full statehood and was included in the First Schedule of the Constitution as the 22nd state of India.

38वाँ संविधान संशोधन 1975 /38th constitutional amendment 1975

इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य अनु. 352 के अधीन आपात स्थिति की घोषणा करने में राष्ट्रपति के 'समाधान' के प्रश्न को अवाद- योग्य बनाना था।

The main purpose of this amendment was to make the question of the President's 'resolution' in declaring an emergency under Article 352 non-arguable.

42वाँ संविधान संशोधन 1976 /42nd constitutional amendment 1976

तीसरे आपात काल के दौरान प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी की सरकार द्वारा किया गया यह संशोधन अब तक पारित सभी संशोधनों मे सबसे व्यापक था। इसकी व्यापकता के कारण ही इस संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है ।

This amendment made by the government of Prime Minister Indira Gandhi during the third emergency was the most comprehensive of all the amendments passed so far. Due to its comprehensiveness, this amendment is called a mini constitution.

52वाँ संविधान संशोधन 1985 /52nd constitutional amendment 1985

इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल रोकने के लिए प्रावधान किया गया था।

Through this, a provision was made to prevent defection by adding the 10th Schedule to the Constitution.

61वाँ संविधान संशोधन 1989 /61st constitutional amendment 1989

इसके द्वारा अनु. 326 में संशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया।*

By this, Article 326 was amended and the minimum age for voting in the Lok Sabha and state legislative assemblies was reduced from 21 years to 18 years.*

69वाँ संविधान संशोधन 1991 /69th constitutional amendment 1991

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है, तथा उसका नाम 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' रखा गया और उसके लिए 70 सदस्यीय विधान सभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का उपबन्ध किया गया। *

The Union Territory of Delhi has been given special status, and it has been named 'National Capital Territory of Delhi' and a provision has been made for it to have a 70-member Legislative Assembly and a 7-member Council of Ministers. *

70वाँ संविधान संशोधन 1992 /70वाँ संविधान संशोधन 1992

इसके द्वारा दिल्ली तथा पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। * इसके लिए अनु. 54 में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया।

Through this, provision was made to include the members of the Legislative Assembly of the Union Territories of Delhi and Pondicherry in the electoral college of the President. * For this, an explanation was added in Article 54.

71 वाँ संविधान संशोधन 1992 /71st Constitutional Amendment 1992

इसके तहत संविधान की आठवीं अनुसूची में तीन और भाषाओं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को सम्मिलित किया गया। *

Under this, three more languages Konkani, Manipuri and Nepali were included in the Eighth Schedule of the Constitution. *

73वाँ संविधान संशोधन 1992 /73rd constitutional amendment 1992

इसके द्वारा संविधान में अनुसूची-11, भाग - 9 तथा अनु. 243 के पश्चात अनु. 243A- 243 ' O', को जोड़कर भारत में 'पंचायती राज' की स्थापना का उपबन्ध किया गया।*

Through this, provision for the establishment of 'Panchayati Raj' in India was made by adding Schedule-11, Part-9 and Article 243A- 243 'O' after Article 243 in the Constitution.

74वाँ संविधान संशोधन 1992 /74th constitutional amendment 1992

इसके द्वारा संविधान में अनुसूची-12 तथा भाग 9क (अनु. 243P - 243ZG) जोड़कर नगरपालिका, नगर निगम तथा नगरपरिषदों के गठन एवं संरचना आदि से सम्बन्धित प्रावधान किया गया है।*

By this, by adding Schedule-12 and Part 9A (Article 243P - 243ZG) in the Constitution, provision has been made regarding the formation and structure of Municipality, Municipal Corporation and Municipal Councils etc.

84वाँ संविधान संशोधन 2001 /84th constitutional amendment 2001

इसके द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा लगे प्रतिबन्ध को हटाते हुए 1991 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की अनुमति दी गयी तथा लोकसभा व विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक परिवर्तित न करने का प्रावधान किया गया। *

By this, the restriction imposed by the 42nd Constitutional Amendment of 1976 on the delimitation of constituencies was removed and delimitation was allowed on the basis of the 1991 census and a provision was made not to change the number of seats in the Lok Sabha and Legislative Assemblies until the data of the first census after 2026 is published. *

86वाँ संविधान संशोधन 2002 /86th constitutional amendment 2002

इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने सम्बन्धी प्रावधान किया गया है। * इसके लिए अनु. 21 क संविधान में जोड़ा गया है तथा अनु. 45 तथा अनु. 51 क में भी संशोधन किया गया है। अनु. 51 क के तहत संशोधन द्वारा 11वाँ कर्तव्य जोड़ा गया है।

Through this, provision has been made to recognize compulsory and free education as a fundamental right for children between 6 to 14 years. * For this, Article 21A has been added to the Constitution and amendments have also been made in Article 45 and Article 51A. The 11th duty has been added by amendment under Article 51A.

91वाँ संविधान संशोधन 2003 /91st constitutional amendment 2003

केन्द्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद् की सदस्य संख्या लोक सभा तथा विधान सभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। किन्तु जहाँ सदन की सदस्य संख्या 40 या उससे कम है, वहाँ अधिकतम 12 होगी।

The number of members of the Council of Ministers at the center and in the state will not exceed 15% of the total number of members of the Lok Sabha and the Legislative Assembly. But where the number of members of the House is 40 or less, the maximum will be 12.

92वाँ संविधान संशोधन 2003 /92nd constitutional amendment 2003

इसके द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में संशोधन कर चार नई भाषाओं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया है।* इस प्रकार आठवीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषायें सम्मिलित हो गयी हैं।

By this, four new languages, Bodo, Dongri, Maithili and Santhali have been included in the Eighth Schedule of the Constitution by amending it.* Thus, at present a total of 22 languages have been included in the Eighth Schedule.

संविधान का 97वाँ संशोधन 2011 /97th Amendment of the Constitution, 2011

इस संशोधन के द्वारा अनु. 19 (1) (c) में 'सहकारी समितियां' जोड़ा गया। यह संशोधन सहकारी समितियों के स्वैच्छिक विनिर्माण, स्वायत्त संचालन, लोकतान्त्रिक नियंत्रण तथा व्यवसायिक प्रबंधन के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में अनु. 43ख को अंतःस्थापित करता है।

This amendment added 'co-operative societies' in Article 19(1)(c). This amendment inserted Article 43B as a directive principle of state policy for voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of co-operative societies.

संशोधन द्वारा एक नया भाग - 9ख भी अंतःस्थापित किया गया है जिसमें (अनु. 243 ZH - अनु. 243 ZT तक) कुल 13 अनु. हैं। यह संशोधन सहकारी समितियों को संवैधानिक स्तर प्रदान करता है।

A new Part-IXB has also been inserted by the amendment which contains a total of 13 articles (from Article 243 ZH to Article 243 ZT). This amendment provides constitutional status to cooperative societies.

संविधान का 99वाँ संशोधन 2014 /99th Amendment of the Constitution, 2014

इस संशोधन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानान्तरण के लिए 1993 से चली आ रही कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर नए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया था।

This amendment provided for a new National Judicial Appointments Commission for the appointment and transfer of judges in the Supreme Court and High Courts, in place of the collegium system that had been in place since 1993.

किन्तु (14 अक्टूबर, 2015 को न्यायमूर्ति जे0 एस0 केहर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' अधिनियम और 99वें संविधान संशोधन को रद्द कर कॉलेजियम प्रणाली को पुनः बहाल कर दिया।

But on October 14, 2015, a five-member Constitution Bench headed by Justice J.S. Kehar by a majority of 4:1 struck down the National Judicial Appointments Commission Act and the 99th Constitutional Amendment and reinstated the collegium system.

100वाँ संविधान संशोधन अधि. 2015

100th Constitutional Amendment Act. 2015

इस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य 1974 में हस्ताक्षरित 'भू-सीमा समझौता' और तत्सम्बन्धी प्रोटोकॉल का अनुमोदन किया गया है । इस संशोधन के अनुसार भारत के बांग्लादेश में स्थित 111 एनक्लेव (बस्तियों) बांग्लादेश को प्राप्त हुए हैं तथा बांग्लादेश के भारत में स्थित 51 एनक्लेव भारत में शामिल किए गए हैं।

This amendment act has ratified the 'Land Boundary Agreement' and its related protocol signed between India and Bangladesh in 1974. According to this amendment, 111 enclaves (settlements) of India situated in Bangladesh have been given to Bangladesh and 51 enclaves of Bangladesh situated in India have been included in India.

101 वाँ संविधान संशोधन अधि. 2016

101st Constitutional Amendment Act. 2016

इस सं. संशोधन अधिनियम का सम्बन्ध GST (Goods and Service Tax) से है। 8 सितम्बर, 2016 को संविधान (122वाँ संशोधन) विधेयक, 2014 राष्ट्रपति के हस्ताक्षरोपरांत संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम, 2016 के रूप में अधिनियमित हुआ।

This amendment act is related to GST (Goods and Service Tax). On 8 September 2016, the Constitution (122nd Amendment) Bill, 2014 was enacted as the Constitution (101st Amendment) Act, 2016 after the signature of the President.

राज्य सभा द्वारा 3 अगस्त, 2016 को तथा लोक सभा द्वारा 8 अगस्त, 2016 को यह संशोधन विधेयक पारित किया गया था। असोम GST को अनुसमर्थन । देने वाला पहला राज्य रहा।

This amendment bill was passed by the Rajya Sabha on 3 August 2016 and by the Lok Sabha on 8 August 2016. Assam was the first state to ratify GST.

102वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2018

102nd Constitutional Amendment Act, 2018

123वाँ संशोधन विधेयक /123rd Amendment Bill

इस संशोधन द्वारा अनु. 338ख अंतः स्थापित कर "राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग" को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है तथा अनु. 342क को अंतः स्थापित किया गया है।

By this amendment, Article 338B has been inserted to provide constitutional status to the "National Commission for Backward Classes" and Article 342A has been inserted.

इस संशोधन के द्वारा अनु. 338 के खण्ड (10) में संशोधन कर अनुसूचित जातियों के प्रति निर्देश का अर्थ आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रति निर्देश माना जायेगा तथा अनु. 366 में एक नया खण्ड (26ग) अंतः स्थापित किया गया है।

By this amendment, clause (10) of Article 338 has been amended to mean reference to the Scheduled Castes as a reference to the Anglo-Indian community and a new clause (26C) has been inserted in Article 366.

03वाँ संशोधन अधिनियम, /03rd Amendment Act,

(124वाँ संशोधन विधेयक)/(124th Amendment Bill)

इस संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को सरकारी सेवाओं तथा शिक्षण संस्थाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया, जिसके अन्तर्गत अनुच्छेद 15 तथा अनुच्छेद 16 में संशोधन करके क्रमशः दोनों में ही नया खण्ड 6 अंतः स्थापित किया गया है।

Under this amendment, 10 percent reservation was provided to the economically weaker general category in government services and educational institutions, under which Articles 15 and 16 were amended and a new clause 6 was inserted in both respectively.

104वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2019

104th Constitutional Amendment Act 2019

(126वाँ संशोधन विधेयक)/(126th Amendment Bill)

इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा तथा विधान सभाओ में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्ष के लिये बढ़ा दिया गया है

By this amendment, reservation for scheduled tribes in Lok Sabha and Legislative Assemblies has been extended for 10 years by amending Article 334.

तथा साथ ही साथ लोकसभा एवं राज्यों की विधान सभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के नाम निर्देशन को 25 जनवरी, 2020 से समाप्त कर दिया है ध्यातव्य है कि भारत में वर्तमान समय में आंग्ल-भारतीयों की कुल संख्या 296 है। उपरोक्त संशोधन अधिनियम 25 जनवरी, 2020 से प्रभावी हुआ है।

Along with this, the nomination of the Anglo-Indian community in the Lok Sabha and the Legislative Assemblies of the states has been abolished from 25 January 2020. It is worth noting that at present the total number of Anglo-Indians in India is 296. The above amendment act has come into effect from 25 January 2020.

105वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2021

105th Constitutional Amendment Act, 2021

(127वाँ संशोधन विधेयक) /(127th Amendment Bill)

15 सितम्बर, 2021 को प्रवृत्त इस संविधान संशोधन का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की शक्ति को बहाल करना है।

This Constitution Amendment, which came into force on September 15, 2021, aims to restore the power of the States and Union Territories to identify socially and educationally backward classes.

राष्ट्रपति उनका कार्यकाल एवं विशिष्टताएँ			
क्र.सं.	नाम	कार्यकाल	विशिष्टताएँ
1.	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	26 जनवरी, 1950 से 13 मई, 1962	भारत के प्रथम राष्ट्रपति
2.	डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	13 मई 1962 से 13 मई, 1967	भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति
3.	डॉ. जाकिर हुसैन	13 मई 1967 से 3 मई, 1969	कार्यकाल के दौरान मृत्यु
4.	वी.वी. गिरि	3 मई 1969 से 20 जुलाई, 1969	भारत के प्रथम कार्यवाह राष्ट्रपति
5.	न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला	20 जुलाई, 1969 से 24 अगस्त, 1969	तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (कार्य)
6.	वी.वी. गिरि	24 अगस्त, 1969 से 24 अगस्त, 1974	द्वितीय चक्र की मतगणना
7.	फखरुद्दीन अली अहमद	24 अगस्त, 1974 से 11 फरवरी, 1977	कार्यकाल के दौरान मृत्यु
8.	बी.डी. जत्ती	11 फरवरी, 1977 से 25 जुलाई, 1977	तृतीय कार्यवाहक राष्ट्रपति
9.	नीलम संजीव रेड्डी	25 जुलाई, 1977 से 25 जुलाई, 1982	निर्विरोध निर्वाचित
10.	ज्ञानी जैल सिंह	25 जुलाई, 1982 से 25 जुलाई, 1987	जेवी वीटो का प्रयोग किया
11.	आर. वेंकटरमण	25 जुलाई, 1987 से 25 जुलाई, 1992	सर्वाधिक आयु में राष्ट्रपति
12.	डॉ. शंकरदयाल शर्मा	25 जुलाई, 1992 से 25 जुलाई, 1997	4 P.M. के साथ कार्य किया
13.	डॉ. के. आर. नारायणन	25 जुलाई, 1997 से 25 जुलाई, 2002	प्रथम दलित राष्ट्रपति
14.	डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम	25 जुलाई, 2002 से 25 जुलाई, 2007	मिसाइल वैज्ञानिक

15.	प्रतिभा देवी सिंह पाटिल	25 जुलाई, 2007 से 25 जुलाई, 2012	प्रथम महिला राष्ट्रपति
16.	प्रणव मुखर्जी	25 जुलाई, 2012 से 25 जुलाई, 2017	-
17.	रामनाथ कोविंद	25 जुलाई, 2017 से 24 जुलाई, 2022	द्वितीय दलित राष्ट्रपति
18.	श्रीमती द्रोपदी मुर्मू	25 जुलाई, 2022 से ----------।	प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति एवं द्वितीय महिला राष्टपति

भारत के उपराष्ट्रपति	
उपराष्ट्रपति	**कार्यकाल**
1. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	1952 से 1962 तक
2. डॉ. जाकिर हुसैन	1962 से 1967 तक
3. वी.वी. गिरी	1967 से 1969 तक
4. गोपाल स्वरूप पाठक	1969 से 1974 तक
5. बी.डी. जत्ती	1974 से 1979 तक
6. मोहम्मद हिदायतुल्ला	1979 से 1984 तक
7. आर. वेंकटरमन	1984 से 1987 तक
8. डॉ. शंकर दयाल शर्मा	1987 से 1992 तक
9. के. आर नारायणन्	1992 से 1997 तक

10. कृष्णकान्त	1997 से 2002 तक
11. भैरों सिंह शेखावत	2002 से 2007 तक
12. मोहम्मद हामिद अंसारी	2007 से 2017 तक
13. एम. वेंकैया नायडू	2017 से 2022 तक
14. जगदीप धनखड़	11 अगस्त 2022 से अब तक

गोपाल स्वरूप पाठक, वी.डी. जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्ला, भैरोसिंह शेखावत, हामिद अंसारी तथा जगदीप धनखड़ ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति नहीं चुने जा सके।

जुलाई 2012 में सम्पन्न 14वें उपराष्ट्रपति चुनाव में मो. हामिद अंसारी को पुनः उपराष्ट्रपति चुना गया था। अतः व्यक्तिक्रम के अनुसार श्री जगदीप धनखड़ 14 वें उपराष्ट्रपति हैं।

भारत के प्रधानमंत्री (The Prime Ministers of India)		
क्रम	प्रधानमंत्री	पदावधि
1.	पं. जवाहर लाल नेहरु	15.8.47 - 27.5.64
	गुलजारी लाल नन्दा (कार्य.)	27.5.64 - 9.6.64
2.	लाल बहादुर शास्त्री	9.6.64 - 11.1.66
	गुलजारी लाल नन्दा (कार्य.)	11.1.66 - 24.1.66
3.	श्रीमती इन्दिरा गाँधी	24.1.66 - 24.3.77
4.	मोरारजी देसाई	24.3.77 - 28.7.79
5.	चौधरी चरण सिंह	28.7.79 - 14.1.80
6.	श्रीमती इन्दिरा गाँधी	14.1.80 - 31.10.84
7.	राजीव गाँधी	31.10.84 - 1.12.89
8.	विश्वनाथ प्रताप सिंह	2.12.89 - 10.11.90

9.	चन्द्रशेखर	10.11.90 - 21.6.91
10.	पी.वी. नरसिम्हाराव	21.6.91 - 16.5.96
11.	अटलबिहारी वाजपेयी	16.5.96 - 1.6.96
12.	एच.डी. देवेगौड़ा	1.6.96 - 21.4.97
13.	इन्द्र कुमार गुजराल	21.4.97 - 18.3.98
14.	अटलबिहारी वाजपेयी	19.3.98 - 13.10.99
15.	अटलबिहारी वाजपेयी	13.10.99 - 22.5.2004
16.	डॉ. मनमोहन सिंह	22.5.2004 - 26.5.2014
17.	श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी (व्यक्तिक्रम के अनुसार 15वें)	26.5.2014 से अब तक

लोकसभा अध्यक्ष : एक दृष्टि में				
अनुक्रम	गठनोपरान्त प्रथम बैठक	भंग होने की तिथि	अध्यक्ष	अध्यक्ष का कार्यकाल
पहली लोकसभा	13 मई, 1952	4 अप्रैल, 1957	गणेश वासुदेव मावलंकर* एम. अनन्तशयनम आयंगर	15 मई, 1952 से 27 फरवरी 1956 8 मार्च, 1956 से 10 मई, 1957
दूसरी लोकसभा	10 मई, 1957	31 मार्च, 1962	एम. अनन्तशयनम आयंगर	11 मई, 1957 से 16 अप्रैल, 1962
तीसरी लोकसभा	16 अप्रैल, 1962	3 मार्च, 1967	सरदार हुकुम सिंह	17 अप्रैल, 1962 से 16 मार्च, 1967
चौथी लोकसभा	16 मार्च, 1967	27 दिसम्बर, 1970	नीलम संजीव रेड्डी	17 मार्च, 1967 से 19 जुलाई, 1969

			सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लो	8 अगस्त, 1969 से 19 मार्च, 1971
पाँचवीं लोकसभा	19 मार्च, 1971	18 जनवरी, 1977	सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लो बलिराम भगत	22 मार्च, 1971 से 1 दिसम्बर, 1975 15 जनवरी, 1976 से 25 मार्च, 1977
छठीं लोकसभा	25 मार्च, 1977	22 अगस्त, 1979	नीलम संजीव रेड्डी के.एस. हेगड़े	26 मार्च, 1977 से 13 जुलाई, 1977 21 जुलाई, 1977 से 21 जनवरी, 1980
सातवीं लोकसभा	21 जनवरी, 1980	31 दिसम्बर, 1984	डॉ. बलराम जाखड	22 जनवरी, 1980 से 27 अक्टूबर, 1984

आठवीं लोकसभा	15 जनवरी, 1985	27 नवम्बर, 1989	डॉ. बलराम जाखड़	16 जनवरी, 1985 से 18 दिसम्बर, 1989
नौवीं लोकसभा	18 दिसम्बर, 1989	13 मार्च, 1991	रविराय	19 दिसम्बर 1989 से 9 जुलाई, 1991
दसवीं लोकसभा	9 जुलाई, 1991	10 मई, 1996	शिवराज वी. पाटिल	10 जुलाई, 1991 से 22 मई, 1996
ग्यारहवीं लोकसभा	22 मई, 1996	4 दिसम्बर, 1997	पी.ए. संगमा	23 मई, 1996 से 23 मार्च, 1998
बारहवीं लोकसभा	23 मार्च, 1998	26 अप्रैल, 1999	जी.एम.सी. बालयोगी	24 मार्च, 1998 से 19 अक्टूबर, 1999
तेरहवीं लोकसभा	20 अक्टूबर, 1999	फरवरी, 2004	जी.एम.सी. बालयोगी	22 अक्टूबर, 1999 से 3 मार्च, 2002 (निधन)

			मनोहर गजानन जोशी	10 मई, 2002 से 2 जून, 2004 ई. तक
चौदहवीं लोकसभा	2 जून, 2004	18 मई, 2009	सोमनाथ चटर्जी	4 जून 2004 से 31 मई, 2009
पन्द्रहवीं लोकसभा	1 जून, 2009	18 मई, 2014	मीरा कुमार* (I महिलाध्यक्ष)	4 जून, 2009 से 4 जून, 2014
सोलहवीं लोकसभा	18 मई, 2014	24 मई, 2019	सुमित्रा महाजन*	6 जून, 2014 से 18 जून, 2019 तक
सत्रहवीं लोकसभा	17 जून, 2019	--	ओम बिरला *	19 जून, 2019 से अभी तक

लोकसभा में स्थानों का आवंटन			
राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	कुल सदस्य	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित	अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित
आन्ध प्रदेश	25	3	1
तेलंगाना	17	17	2
उत्तर प्रदेश	80	1	-
उत्तराखण्ड	05	6	-
बिहार	40	1	-
झारखण्ड	14	5	5
महाराष्ट्र	48	4	4
मध्य प्रदेश	29	1	6

छत्तीसगढ़	11	7	4
तमिलनाडु	39	5	-
कर्नाटक	28	2	2
गुजरात	26	4	4
राजस्थान	25	3	3
उड़ीसा	21	2	5
केरल	20	1	-
असोम	14	2	2
हरियाणा	10	1	-
हिमाचल प्रदेश	4	-	-
त्रिपुरा	2	-	1
मणिपुर	2	4	1

पंजाब	13	10	-
प. बंगाल	42	-	2
मेघालय	2	-	2
नगालैण्ड	1	-	-
सिक्किम	1	-	-
मिजोरम	1	-	1
अरुणाचल प्रदेश	2	-	-
गोवा	2	-	-

संघीय क्षेत्र	कुल सदस्य	SC	ST
दिल्ली	7	1	-
जम्मू - कश्मीर	5	-	-
लद्दाख	1	-	-
चण्डीगढ़	1	-	-
दादरा तथा नगर हवेली एवं दमन व दीव	2	-	1
अण्डमान निकोबार	1	-	-
पुदुचेरी	1	-	1
लक्षद्वीप			

	543	**84**	

राज्यसभा में स्थानों का आबंटन	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सदस्य संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	11
2. असोम	7
3. बिहार	16
4. गुजरात	11
5. हरियाणा	5
6. केरल	9
7. मध्य प्रदेश	11
8. तमिलनाडु	18
9. महाराष्ट्र	19

10. कर्नाटक	12
11. ओडीशा	10
12. पंजाब	7
13. राजस्थान	10
14. उत्तर प्रदेश*	31
15. प. बंगाल *	16
16. जम्मू-कश्मीर	4
17. नगालैण्ड	1
18. दिल्ली*	3
19. हिमाचल प्रदेश	3
20. मणिपुर	1

21. त्रिपुरा	1
22. पांडिचेरी*	1
23. मिजोरम	1
24. मेघालय	1
25. अरुणाचल प्रदेश	1
26. सिक्किम	1
27. गोवा	1
28. छत्तीसगढ़	5
29. उत्तराखण्ड	3
30. झारखण्ड	6
31. तेलंगाना	07

कुल निर्वाचित सदस्य	233
राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत	12
कुल सदस्यों की संख्या 233+12=245	

भारत के उच्च न्यायालय अधिकारिता व स्थान
(THE HIGH COURTS OF INDIA: JURISDICTION & SEAT)

क्र.	नाम	स्थापना वर्ष	अधिकार क्षेत्र	मुख्यालय	खण्डपीठ
1	इलाहाबाद *	11 जून, 1866	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज	लखनऊ
2	तेलंगाना	08 जुलाई, 1954	तेलंगाना	हैदाराबाद	
3	मुम्बई* (UPPCS: M)	18 अगस्त, 1862	महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव	मुम्बई	नागपुर, औरंगाबाद और पणजी (RAS)
4	कोलकाता *	02 जुलाई, 1862	पश्चिम बंगाल तथा अण्ड मान और निकोबार दीप समूह (BPSC)	कोलकाता	पोर्ट ब्लेयर
5	दिल्ली	31 अक्टूबर, 1966	दिल्ली	नई दिल्ली	
6	गुवाहाटी (RAS)	01 मार्च, 1948	असोम, नगालैण्ड, मिजोरम और अरुणांचल प्रदेश	गुवाहाटी	कोहिमा, आइजोल ईटानगर
7	गुजरात	01 मई, 1960	गुजरात	अहमदाबाद	

8	हिमाचल प्रदेश	25 जनवरी, 1971	हिमाचल प्रदेश	शिमला	
9	जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख	28 मार्च, 1928	जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख	श्रीनगर और जम्मू	
10	कर्नाटक	1884	कर्नाटक	बेंगलुरू	हुबली धारवाड और गुलबर्गा (2013 में
11	केरल	1956	केरल और लक्षद्वीप	कोच्चि	स्थापित)
12	मध्य प्रदेश	02 जनवरी, 1936	मध्य प्रदेश	जबलपुर	ग्वालियर, इन्दौर
13	चेन्नई	15 अगस्त, 1862	तमिलनाडु और पुदुचेरी	चेन्नई	मदुरई
14	ओडिसा	03 अप्रैल, 1948	ओड़िशा	कटक	
15	पटना	02 सितम्बर, 1916	बिहार	पटना	
16	पंजाब और	1 नवम्बर, 1966	पंजाब, हरियाणा	चण्डीगढ़	

17	हरियाणा*		और चण्डीगढ़		
18	राजस्थान	29 अगस्त, 1949	राजस्थान	जोधपुर	
19	सिक्किम	16 मई, 1975	सिक्किम	गंगटोक	जयपुर (RAS)
20	छत्तीसगढ़	01 नवम्बर, 2000	छत्तीसगढ़	बिलासपुर (Chh.	
21	उत्तराखण्ड	09 नवम्बर, 2000		PCS	
			उत्तराखण्ड	नैनीताल	
22	झारखण्ड	15 नवम्बर, 2000	झारखण्ड	राँची	
23	मेघालय *	23 मार्च, 2013	मेघालय	शिलांग	
24	मणिपुर	25 मार्च, 2013	मणिपुर	इंफाल	
25	त्रिपुरा*	26 मार्च, 2013	त्रिपुरा	अगरतला	
26	आंध्रप्रदेश	1 जनवरी, 2019	आंध्रप्रदेश	अमरावती	

नौट : केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने 5 जुलाई, 2016 को बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता हाईकोर्ट का नाम बदलकर क्रमशः मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता हाईकोर्ट करने का निर्णय लिया है।